

महत्वपूर्ण एवं स्थान

24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस

रायगढ़। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पहली बार 2008 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यभार दिनांक 24 जनवरी को महिला सशक्तिकरण के रूप में घोषित हुए बालिका दिवस मनाया गया। तब से 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाने का उद्देश्य बालिकाओं में उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है। इसके अलावा समाज में बालिकाओं के उचित सम्मान एवं प्रत्येक क्षेत्र में उनको समान अवसर प्रदान के लिए प्रोत्साहित करना आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। समाज में व्यापक कुरारियों को दूर करने के लिए बालिका दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष प्रदेश में जागरूकता लिए महिला सशक्तिकरण संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। जिससे समाज में बेटा एवं बेटी में समानता की भावना उत्पन्न हो। इसके साथ ही शासन द्वारा बालिकाओं को बचाने एवं आगे लाने के लिए कई कानून जैसे लिंग चयन प्रतिषेध तकनीक (पी.सी.पी.एन.डी.टी.) एवं बेटी बेटी बच्चा-ओ-बेटी पढ़ाओं जैसे विभिन्न योजनाएं संचालित किया जा रहा है। जिससे बालिकाओं की हिस्सेदारी एवं अवसर सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ रही है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्यस्तरीय

आयोजन: सोशल मीडिया पर किया

जाएगा लाइव प्रसारण

रायगढ़। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर

राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है।

कोविड-19 महामारी के महेन्जर आयोजन

सीमित रूप में किया जा रहा है। आयोजन का

लाइव प्रसारण मुख्य निवारण पदाधिकारी

छत्तीसगढ़ के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म

के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम का लाइव

प्रसारण पर 25 जनवरी 2022 को प्रातः

11:00 बजे से फेसबुक, ट्विटर एवं यूट्यूब

आइ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा।

चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर

गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर

भेजा गया जेल

कोरबा (आरएनएस)। जिसे के पुलिस

अधीक्षक भोजराम पटेल ने चिटफंड कंपनी के

फार आरोपीयों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही

करने का निर्देश दिए हैं वही थाना बांकीमोगरा

में अपराध क्र.43/2017 धारा 420, 34

भादवि निपेक्षकों के हितों का संरक्षण

अधिनियम की धारा 10 मनी सर्कुलेशन की

धारा 4-5 की प्रार्थीया मानकी बांड़, पति-पिता

मात्रा श्रीवास, उम्- 48 साल, सा.- देवकोनी,

बलगी, थाना-बांकी मोगरा में रियोर्ड दर्ज कराई

थी। जिसमें जी.एन.गोल्ड कंपनी के संचालक

व ऐजेंट को प्रतिमाह 500 रुपया दिए गए। वही

साल तक जमा करने पर तुर्हे 1लाख रुपये

मिलेगा कहकर 4 वर्षों में 24 हजार रुपये जमा

करवाये, उपर्युक्त बाद ऐजेंट एवं कंपनी के

डायरेक्टर उपका पैसा को हड्पकर कंपनी बंद

करके फार हो गये थे वही थाना में अपराध

कायम कर विवेचन किए जा रहे थे। बाली

विवेचना के प्रकरण के फार आरोपी डायरेक्टर

जी.एन.गोल्ड कंपनी ने दिए एवं बेटी

मात्रा श्रीवास, उम्- 48 साल, सा.- देवकोनी,

बलगी, थाना-बांकी मोगरा में रियोर्ड पर किया जाएगा।

पिंडिता दिनांक 21.01.2021 को थाना सारांगड़ आकर आरोपी

सेवकराम जोलहे उम् 35 वर्ष

निवासी सारांगड़ के विरुद्ध

कार्रवाई करने के संबंध में टीआई

विवेक पाटले को अवेदन दिया

गया। टीआई विवेक पाटले द्वारा

महिला विवेक से पीड़िता का

कथन कराये, पिंडिता बताइ कि

सारांगड़ उसका मायके और

भूमिका सराहनीय रही।

पिंडिता दिनांक 26.11.2021 को जाकर शरीरिक संबंध बनाया।

उसके बाद रायगढ़ एक

किराये मकान में रखा

जाहा भी शारीरिक संबंध

बनाया अब शादी करने से

इकार कर रहा है। दिनांक

14.01.2022 को

सेवकराम अपने भाऊ के

साथ किये मकान में

आया और मारपीट कर

मारने की धमकी देकर

शादी करने से साफ इंकार

कर दिया। पीड़िता के

लिखित अवेदन पर

आरोपी पर सेवराम पर

पत्नी बना कर रखुंगा कहकर

बहला फुसलाकर पैदल गांव से

अपने रायगढ़ ले जाते समय हिंसी

द्वारा आरोपी पता साजी कर

एवं बालीनवीटी के बीच रोड

किनारे सुनसान स्थान पर ले

जाकर शरीरिक संबंध बनाया।

के रोट सेवक राम जोलहे शादी कर

धारा 323,506,376 ईंपीटी

का अपराध दर्ज कर थाना प्रभारी

गिरफ्तार कर 24 घंटे के भीतर

आरोपी को न्यायिक रिमांड पर

पेजा गया है।

सुप्रियोग दिनांक 26.11.2021 को

रायगढ़ द्वारा जारी किया गया।

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले

आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

महिला का शारीरिक शोषण करने वाले